7/10/19	जाने पर पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 24/10/19 को पेश हो।
24/10/19	वकीलो द्वारा आज कण्डोलेस रखे जाने पर पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 7/11/19 को पेश हो।
7/11/19	व. का. उपस्थ प्रा. पत्र 151 CPC का जवाब पेश किया गया। नकल दिगर जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पत्रावली वास्ते प्रा. पत्र 151 CPC बहस हेतु दिनांक 15/11/19 को पेश हो।
15/11/19	व. का. उपस्थ पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/12/19 को पेश हो।
4/12/19	व. का. उपस्थ प्रा. पत्र 151 CPC का स्वीकार किया जाकर कुल प्रा. पत्र बाबत पत्यरगडी पर

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		अन्य. पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र बाबत पत्थरगढ़ी का स्वीकार किया जाता है निर्णय पृथक से लिखकर पारित शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 69/2017

उनवान

1. सुन्दरी देवी पत्नी राजेन्द्र
2. रूकमणी देवी पत्नी इन्द्रजीत सिंह
3. इन्द्रजीत सिंह पुत्र हनुमान सहाय
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमाल सहाय समस्त जाति जाट निवासी ग्राम रगल्यावाला तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सरदार पुत्र रामकरण
2. सुभाष पुत्र रामकरण
3. बाबूलाल पुत्र रामकरण
4. ओमप्रकाश पुत्र रामकरण
5. भगवान सहय दत्तक पुत्र सेडू
6. सीताराम पुत्र अर्जुन
7. हरफुल पुत्र पांचू
8. नाथी पत्नी पांचू
9. सन्ताराम पुत्र बालुराम
10. बाबूलाल पुत्र बालुराम
11. उकार पुत्र तेजा
12. नाथूराम पुत्र चौथू (मृतक दौराने प्रार्थना)
    - 12/1 बोदी देवी पत्नी स्व0नाथूराम
    - 12/2 सुगलचन्द पुत्र स्व0नाथूराम
    - 12/3 हरसहाय पुत्र स्व0नाथूराम
    - 12/4 सुरज्ञान पुत्र स्व0नाथूराम
13. छीतर मल पुत्र चौथू
14. बिरजू पुत्र चौथू
15. श्रवणी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद
16. श्रवण कुमार पुत्र बालू
17. सत्प्रकाश पुत्र बालू
18. बल्लू पुत्र बालू
19. हनुमान सहाय पुत्र गोपी
20. झूथा पुत्र तेजाराम
21. गोरधन उर्फ गोधाराम पुत्र काना
22. सोहनलाल पुत्र काना
23. प्रहलाद पुत्र काना
24. गुल्ली देवी पत्नी काना
25. बिरदीचन्द पुत्र उदा
26. भूरी पुत्री चौथू समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगलभरडा तहसील चौमू।
27. प्रेमसिंह पुत्र किशोर सिंह
28. नरपत सिंह पुत्र किशोर सिंह
29. हनुमान सिंह पुत्र किशोर सिंह
30. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 04.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वह वाके ग्राम प्रार्थीगण ग्राम रमल्यावाला तहसील आमेर जिला जयपुर के रहने वाले है। तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है व काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम नांगल भरडा तहसील चौमू जिला जयपुर में खसरा नम्बर 2748/2 रकबा 4.20है0 खसरा नम्बर 2749/3 रकबा 3.21है0, खसरा नम्बर 2750/2 रकबा 0.54है0, कुल किता-3 का कुल रकबा 7.95है0 स्थित है। जिस भूमि के प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार है। तथा काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि ही प्रार्थना पत्र हाजा में भूमि विवादग्रस्त है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 29 भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के सिवजोड पडोसी काश्तकार है। तथा उक्त भूमि बारानी भूमि है जिस भूमि की चारो तरफ नीव सीव पुख्ता कायम नही है। जिससे प्रार्थीगण की भूमि को चारो तरफ से पडोसी काश्तकारों द्वारा दबा रखी थी। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि की लेवलिग करवाने लगे तब अप्रार्थीगण लेवलिग नही करने दिये तथा भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार के उक्त विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवो हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 10.06.2016 को पटवारी हल्का नागल भरडा गिरदावर हल्का नागलभरडा नें प्रार्थीगण की मौजुदगी में सीमाज्ञान किया गया। जिस सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2016 के अनुसार प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना एवं न्यायाचित है।

प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे की भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2016 के अनुसार पत्थरगढी करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 30 तहसीलदार चौमू को निवेदन किया जिस पर तहसीलदार चौमू द्वारा पत्थरगढी के आदेश सक्षम न्यायालय सें लानें हेतु कहा जिस कारण प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवदेन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2748/2, 2749/3, 2750/3 कुल किता-3 का कुल रकबा 7.95 हैक्टेयर वाके ग्राम नागलभरड़ा तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्तित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2016 के अनुसार पत्थरगढी करवाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 30 तहसीलदार चौमूं को फरमाये जावे तथा मौके पर उक्त पत्थरगढी के समय जरिये पुलिस इमदाद से करवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 ,9 व 29 की ओर सें प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मुताबिक सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी की जाती है तो मिन अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है। अप्राथीगण संख्या 5, 6, 7 , 10, 11, 13 लगायत 26 नें अपने जवाब सीमाज्ञान सही नही होनें व पुनःसीमाज्ञान दोनो पक्षो की उपस्थिति में सीमाज्ञान नही की गई है न ही फर्द पर हस्ताक्षर है अतः प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का खारीज फरमाया जावे। शेष के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का स्वीकार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 10.06.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 10.06.2016 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.06 14:33:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: